प्रेस नोट थाना दक्षिण दिनांक 19-062026 जनपद फिरोजाबाद।

थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा चैकिंग अभियान के दौरान टोयोटा ग्लेन्जा चार पहिया गाडी में ले जायी जा रही 240 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा ब्रांन्ड (180 लीटर अग्रेजी शराब जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये) सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध असलाह भी बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में अवैध शराब एवं शस्त्रों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण मे दिनांक- 19.06.2026 को थाना दक्षिण पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 1 नफर अभियुक्त आयुष पुत्र पंकज नि0 पैडले गंज मन्दिर के पास थाना कैन्ट जिला गोरखपुर उम्र 20 वर्ष को अवेध अग्रेजी शराब 120 बोतल ROYAL STAG WHISKY HARYANA BRAND मय घटना में प्रयुक्त एक कार टोयोटा ग्लेन्जा नं0 BR 06 CW 5000 व एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस सहित मालगोदाम रोड पर मालगोदाम के सामने से समय 00.15 बजे गिरफ्तार किया गया है जिनसे बरामद शुदा अवैध शराब के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब यह शराब हरियाणा से खरीदकर बिहार ले जाकर बेचता हू, इससे पूर्व भी 02-03 बार शराब बिहार ले जा चुका हूं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0- 643/2026 धारा 60 (1)/63/72 आबकारी अधिनियम व मु0अ0स0 644/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्य़वाही कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आयुष पुत्र पंकज नि0 पैडले गंज मन्दिर के पास थाना कैन्ट जिला गोरखपुर उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तारा शुदा अभियुक्त से बरामदगी का विवरण ---

1. 240 बोतल ROYAL STAG WHISKY HARYANA BRAND (180 लीटर अग्रेजी शराब)
2. परिवहन में प्रयुक्त एक कार टोयोटा ग्लेन्जा नं0 BR 06 CW 5000
3. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार शुदा अभि0 आयुष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0- 643/2026 धारा 60 (1)/63/72 आबकारी अधिनियम

1. मु0अ0स0 644/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

तस्करा पूछताछ गिरफ्तारशुदा अभि0

अभि0 आयुष पुत्र पंकज नि0 पैडले गंज मन्दिर के पास थाना कैन्ट जिला गोरखपुर उम्र 20 वर्ष ने पूछने पर बताया कि यह शराब में फरीदाबाद हरियाणा से लाता हुॅ। यह सभी शराब हरियाणा मार्का है जिसको मे मंहगे दामो में बेचने के लिए बिहार ले जाने की फिराक में था पुलिस चैकिंग होने के कारण में रास्ता भटक गया था जो गाडी मिली है उसका गाडी का मालिक राकेश कुमार सिन्हा पुत्र हरिप्रसाद सिन्हा नि0 हरपुर औटसी शिवमन्दिर के नजदीक पोस्ट महुआ थाना महुआ जिला वैशाली है। इसके पूर्व में भी हम दोनों 02-04 बार हरियाणा से अंग्रेजी शराब लेकर बिहार मैं बेच चुके हैं। तमंचा कारतूस के बारे में बताया कि साहब हम लोग अपनी सुरक्षा हेतु तमंचा व कारतूस रखते है जो आपके द्वारा बरामद कर लिये गये हैं।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्रपाल सिंह थाना दक्षिण
2. उ0नि0 अर्जुन राठी चौकी प्रभारी नालबन्द थाना दक्षिण फिरोजाबाद
3. का0 601 जीतेश कुमार थाना दक्षिण फिरोजाबाद
4. का0 257 धनजन्य दक्षिण फिरोजाबाद
5. का0 1034 नवनीत कुमार थाना दक्षिण फिरोजाबाद
6. का0 287 अनुज कुमार थाना दक्षिण फिरोजाबाद